

IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGE,
VAISHALI AT HAJIPUR
Civil Misc No. 63 of 2026

Tribhuvan Sahani

..... Applicant

Versus

United Idia Ins. Comp. Ltd.

.....O.P.

20.07.2026

आवेदक की ओर से हाजरी दाखिल कर विद्वान अधिवक्ता वाद संचालित कर निवेदन करते हैं कि इजराय वाद संख्या-23/2024 को किसी अन्य कार्यशील न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाय।

सुना। विद्वान जिला न्यायालय-02 के कार्यालय से प्रस्तुत विविध आवेदन के संबंध में मांगा गया प्रतिवेदन प्राप्त है। देखा। विद्वान न्यायालय में प्रतिवेदित किया है कि संदर्भित इजराय वाद पर सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि न्यायालय एन0डी0पी0एस0 एक्ट में व्यस्थ है। अगर वाद स्थानान्तरित होता है न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

देखा। जिला न्यायाधीश-02 का न्यायालय अन्य वादों के निष्पादन में व्यस्थ है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत विविध वाद स्वीकृत करते हुए इजराय वाद-23/2024 मूल अभिलेख के साथ जिला न्यायाधीश-02 के न्यायालय से वापस लेकर जिला न्यायाधीश-15 के न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया जाता है।


(हरिषित सिंह)

प्रधान जिला न्यायाधीश

Sent copy of order to D.A.S.D. 8/8/26
P.B-2168217 dt. 27.7.26